



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

भारत सरकार
वन विभाग

संख्या:- 2841 / FP/UK/ROAD/53059/2020 देहरादून: दिनांक: 7 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२२/एफ०सी०/१०३ दिनांक 28.04.2023 ।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 28.04.2023 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3222/12-1 (2) दिनांक 22.05.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In compliance to point No. 01 of the EDS dated 02-08-2022, the location of villages are still not marked on the KML file. The State Government is requested to do the needful.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० फाईल में लाभान्वित होने वाले ग्राम अंकित कर ऑनलाईन पार्ट-1 के सी० सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं।
2	In the reply to point no. 02 of the EDS, It is mentioned that 23 trees are present in the 7m width. Therefore, necessary correction are also required to be made in online portal at para 4 in Part II, accordingly.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आपत्ति के निराकरण के क्रम में प्रभाग स्तर द्वारा ऑनलाईन पार्ट II में वृक्षों के विवरण बिन्दु संख्या 4(ii) के क०सं० 2 अपडेट कर दिया गया है।
3	In reply to point No. 03, the details of revised CA area has not been uploaded in online Part II neither the KML of the changed CA area has been replaced. State Government is requested to update the details of the revised CA area and replace the existing KML file with KML file of revised CA area.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन पार्ट-II में अपलोड कर दिया गया है।

Q

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1
अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2841 / FP/UK/ROAD/53059/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3222/12-1 (2) दिनांक 22.05.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।